

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्य प्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/16-17/ 5794

बैतूल दिनांक 08/05/2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	उमरीजागीर	0.209	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	शम्भू व. नानूराम निवासी उमरीजागीर	26	1.238	0.001
2	बाबू चैतराम व. कुंवरलाल, नैना, शांता पिता कुंवरलाल, बिसराम व. गेंदलाल, मिठुनबाई बेवा . गेंदलाल, पुर्णबाई बेवा भैयालाल, भीम, प्रमोद व. भैयालाल, रूकमणी, ज्योति पिता भैयालाल	27	1.242	0.015
3	सुंदरलाल व. तेजीलाल निवासी उमरीजागीर	28	1.242	0.038
4	लक्ष्मण व. लटकिया निवासी खेड़ली	30/1	0.809	0.155
योग				0.209